



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय (महर्षि सान्दीपनि विद्यापीठ संस्थान, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education (Ministry of HRD, Government of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 18.09.2020

कार्यालय आदेश - 944


विषय : प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को प्रतिष्ठान के द्वारा जारी आदेश, अधिसूचना, निर्देश की सूचना ईमेल एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशाला / इकाई से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्देश, अधिसूचना, आदेश, सूचना (अनुदान स्वीकृति आदेश, पत्राचार, छात्रों का प्रवेश, परीक्षा हेतु आवेदन भरना आदि) संबंधित वेदपाठशाला / इकाई को ईमेल किया जाएगा एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर उपलब्ध रहेंगीं, जिसे देखकर सतत क्रियान्वयन एवं अनुपालन करना वेद पाठशाला/गुरुशिष्य इकाई की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। वेद पाठशाला/गुरुशिष्य इकाई को ई-मेल द्वारा प्रेषित एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं आरू.टी. एक्ट अनुसार वैध रहेंगीं ।

किसी भी वेदपाठशाला / इकाई को ईमेल/ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर आदेश उपलब्ध कराने के बाद व्यक्तिशः पत्र एवं दूरभाष आदि से सूचित नहीं किया जाएगा ।

समस्त वेदपाठशाला प्रबंधक एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक नियमित रूप से अपना ईमेल आईडी एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट को जांच करते रहें एवं प्रतिष्ठान द्वारा जारी निर्देशों, अधिसूचना, आदेश आदि के माध्यम से वांछनीय जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें ।

प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशाला / इकाई को ईमेल/प्रतिष्ठान की वेबसाइट के माध्यम से सूचित करने के उपरांत भी पाठशाला / इकाई द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वांछनीय प्रपत्र समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर बाद में पत्राचार नहीं किया जायेगा ।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल) 18/9
सचिव

- प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र
(2) समस्त गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के वेदाध्यापकों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(3) संबंधित पत्रावली ।
(4) कार्यालय आदेश पत्रावली ।